न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी जिला– पाली

पिठासीन अधिकारी– अदिती पुरोहित (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या– 09/2018
तारीख निर्णय– / /2019

वादी–

जयवर्धन शर्मा पुत्र भगवानदासजी, जाति– वैष्णव, निवासी– रानी, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– हटु पत्नि श्रीरामजी, जाति– रंगास्वामी, निवासी– छोटी रानीगांव रानी, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)
2– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीसलदार, रानी।

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53 राज0 काश्त0 अधिनियम :–

उपस्थिति–

1– श्री राजेन्द्र गौतम अधिवक्ता वादी की ओर से।
2– प्रतिवादीगण की ओर से कोई नही।

दिनांक–8/7/2019

–: निर्णय :–
(अंतिम–डिकी)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 53 राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– मौजा सरहद ग्राम– रानीखुर्द, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0) में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर– 151/2 रकबा– 0.0600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर– 154 रकबा– 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा–2 कुल रकबा– 0.5600 हैक्टर विद्यमान है, जिसमे के हक हकूक की 0.3675 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या–1 हटु की 0.1925 हैक्टर है। जमाबन्दी साथ सलंग्न है। मौके पर वादी की खातेदारी 0.3675 हैक्टसर किस्म दोयम का बंट अलग से किया हुआ है एवं मौके पर वादी का कब्जा काश्त है, जो ट्रेस नक्शा मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा की प्रति साथ सलंग्न है। वादी ने प्रतिवादीनी को एक सप्ताह पहले उपरोक्त खातेदारी की आपसी सहमति से बंटवाडा करने को कहा तो पहले हॉ भरा फिर कहा जैसे चल रहा है वैसे चलने दो और प्रतिवादीनी टालम टोली करती रही हैं इस कारण से बंटवाडा का वाद उत्पन्न होने का कारण उत्पन्न हुआ है। एवं अनुतोष चाहा कि वाद डिक्री बहक वादी बंटवाडा की इस अमर से आदेश की जावे कि कस्बा रानी खुर्द के खसरा नम्बर– 151/2 रकबा– 0.0600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर– 154 रकबा– 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा–2 कुल रकबा– 0.5600 हैक्टर मे वादी का 0.3676 हैक्टर जो वादी के जमाबन्दी अनुसार एवं ट्रेस नक्शानुसार दक्षिण दिशा मे बंट विद्यमान है जो लाल स्याही से दर्शाया गया है,

——क्रमशः पेज– 2 पर.......

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

बंटवाडा व नाप सीमांकन करके राजस्व अभिलेख मे दर्ज किये जाने व तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण हाजा मे दिनांक– 04/06/2019 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की गई कि– मौजा सरहद ग्राम– रानीखुर्द, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0) में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर– 151/2 रकबा– 0.0600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर– 154 रकबा– 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा–2 कुल रकबा– 0.5600 हैक्टर मे विद्यमान वादी के खातेदारी हिस्सा भूमि रकबा– 0.3675 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं0–1 के खातेदारी हिस्सा भूमि रकबा– 0.1925 हैक्टर अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 के मध्य उक्त वादग्रस्त आराजी का तहसीलदारजी, रानी मौके पर नियमानुसार नाप चौक कर बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कर पृथक–पृथक बंट कर नक्शा मे पृथक– पृथक रंगो से दर्शाते हुए बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा के दो दो प्रतियों मे इस न्यायालय को भिजवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

तहसीलदारजी, रानी द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिकी योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम– रानीखुर्द, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0) में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 151/2 रकबा– 0.0600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर– 154 रकबा– 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा–2 कुल रकबा– 0.5600 हैक्टर का माफीक तहसीलदारजी, रानी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

(1)– जयवर्धन शर्मा पुत्र भगवानदासजी कौम– वैष्णव, साकिन– देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
151/2	0.0600 हैक्टर	बा.दो.	0.30
154/1	0.3075 हैक्टर	बा.दो.	1.54

कुल खसरे–2 कुल क्षेत्रफल–0.3675 हैक्टर कुल लगान रू0– 1.84

==

——कमशः : पेज– 3 पर..........

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

(2)- श्रीमति हटु पत्नि श्रीराम, कौम- रंगास्वामी, साकिन- देह खातेदार-

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
154	0.1925 हैक्टर	बा0दो0	0.96

कुल खसरा-1 कुल क्षेत्रफल- 0.1925 हैक्टर कुल लगान रू0- 0.96

===

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिकी का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। तदनुरूप अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी
(S.D.O.) रानी

निर्णय आज दिनांक- 8 / 7 /2019 को खुले न्यायालय मे को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी जिला– पाली

पिठासीन अधिकारी– अदिती पुरोहित (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या– 09/2018
तारीख अंतिम डिकी–8/7/2019

वादी–

जयवर्धन शर्मा पुत्र भगवानदासजी, जाति– वैष्णव, निवासी– रानी, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– हटु पत्नि श्रीरामजी, जाति– रंगास्वामी, निवासी– छोटी रानीगांव रानी, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)
2– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीसलदार, रानी।

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53 राज0 काश्त0 अधिनियम :–

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या–09/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री राजेन्द्र गौतम मिनजानिब मुद्धई व वकील ....मिनजानिब मुद्धायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि– अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम– रानीखुर्द, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0) में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 151/2 रकबा– 0.0600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर– 154 रकबा– 0.5000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा–2 कुल रकबा– 0.5600 हैक्टर का माफीक तहसीलदारजी, रानी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

(1)– जय वर्धन शर्मा पुत्र भगवानदास, कौम– वैष्णव, साकिन– देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
151/2	0.0600 हैक्टर	बा.दो.	0.30
154/1	0.3075 हैक्टर	बा.दो.	1.54

कुल खसरे–2 कुल क्षेत्रफल–0.3675 हैक्टर कुल लगान रू0– 1.84

===

(2)– श्रीमति हटु पत्नि श्रीराम, कौम– रंगास्वामी, साकिन– देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
154	0.1925 हैक्टर	बा0दो0	0.96

कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल– 0.1925 हैक्टर कुल लगान रू0– 0.96

===

–––कमशः पेज– 2 पर........

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस डिकी का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ ......

..को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 8 माह 7 सन् 19
2019

मोहर

दस्तखत
सहायक कलेक्टर
ओहदा (S.D.O.) रानी

मुद्धई	रूपयां पैसा	मुद्धायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Scanned by CamScanner